# जोधपुर विद्युत वितरण निगम निगम लिमिटेड, जोधपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर–342003

फोन नं. 0291 2651337– 5106032 (का) 2651389(नि) फैक्स नं० 2741870

जयपुर फोन नं. 0141 2740121 (का) 2651312 (नि) फैक्स नं. 2740121


क्रमांक एफ.1 ( )/जोविविनिलि/जो/मु.ले.अ. (ले. एवं रा.)/नियन्त्रण/प्रे.674 दिनांक 25.09.2013

## परिपत्र

**विषयः 24 अक्टूबर, 2013 से 23 अक्टूबर, 2014 की अवधि के लिये समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना ।**

निगम ने इस वर्ष भी समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के परिलाभ राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग (सामान्य बीमा निधि), राजस्थान सरकार, वित्त भवन, डी–ब्लाक, द्वितीय मंजिल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर द्वारा समस्त कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये प्रयोज्य शर्तों एवं निबन्धनों, जिनमें से कुछ मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं, पर दिये जाने की व्यवस्था की है । अतः समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे सभी कर्मचारियों के माह सितम्बर, 2013 के वेतन विपत्र (अक्टूबर, 2013 को संदेय) से प्रीमियम के प्रति 281/– रुपए प्रति अधिकारी/ कर्मचारी की दर से कटौती किया जाना सुनिश्चित करें । सभी वृत्त लेखाधिकारी, कर्मचारियों के वेतन से उपर्युक्तानुसार काटी गयी राशि का एक समेकित चैक संलग्न परिशिष्ट '1' में वर्णित संबंधित उप/सहायक निदेशक बीमा एवम् प्रावधायी विभाग को संलग्न परिशिष्ट 'ख' एवं 'ग' सहित 15 अक्टूबर, 2013 तक निश्चित रूप से प्रेषित करेंगे। उक्त सूची/सूचना की प्रतिलिपि लेखाधिकारी (रोकड़), रा.रा.वि.वि.नि.लि., जयपुर को अवश्य भिजवाएं। परिशिष्ट 'ख' के अभाव में बीमा विभाग द्वारा दावों के निपटारे में विलम्ब किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/वृत्त लेखाधिकारी की स्वयं की होगी । निगम के अंशदान की राशि (रुपए 393.16 प्रति कर्मचारी) का लेखांकन लेखा शीर्ष 75.715–ग्रुप पर्सनल एक्सीडेन्ट इन्श्योरेन्स ऑफ एम्प्लोयीज–एम्प्लोयर्स शेयर में करेंगे ।

प्रक्रिया तथा शर्तें एवं निबन्धनः

1. नियन्त्रण अधिकारी द्वारा बीमित कर्मचारी की दुर्घटना से मृत्यु एवं दुर्घटना से क्षति की सम्पूर्ण विवरण युक्त सूचना अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग (सामान्य बीमा निधि), राजस्थान सरकार, वित्त भवन, डी–ब्लाक, द्वितीय मंजिल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर को अविलम्ब घटना घटित होने की तिथि से एक कलेण्डर माह की अवधि के अन्दर भेजी जायेगी।
2. प्रीमियम की दर वार्षिक है, अतः वर्ष में केवल एक बार ही प्रीमियम राशि की कटौती की जानी है । योजना के अन्तर्गत निर्धारित वार्षिक प्रीमियम पर अधिकतम दो लाख रुपए का बीमाधन होगा।
3. योजना के लाभ प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को योजना के अन्तर्गत उल्लिखित क्षतियों के, पॉलिसी के प्रभावी रहने की अवस्था में, किसी भी स्थान अथवा समय पर घटित होने पर देय होंगे।
4. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रीमियम की प्रत्येक कटौती पर एक वर्ष (12 कलेण्डर माह) हेतु प्रभावी रहेगी एवं पॉलिसी की अवधि समाप्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को भी पॉलिसी अवधि की समाप्ति तक पॉलिसी के लाभ देय होंगे।
5. यह योजना दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मचारियों पर तथा पुनर्नियुक्त निगम के कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगी ।
6. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत दुर्घटनाओं में निगम कर्मचारियों की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार बीमाधन भुगतान किये जाने का प्रावधान है । योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी

शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो । शारीरिक चोट सन्दर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिये एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिये, उदाहरणार्थ समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई क्षति पर देय होंगे :–

1. वाहन दुर्घटना से होने वाली क्षति ।
2. सीढ़ियों से गिरकर लगने वाली चोट से क्षति ।
3. किसी जहरीले जन्तु के काट लेने से होने वाली क्षति ।
4. मकान के ढ़हने से होने वाली क्षति ।
5. साम्प्रदायिक हिंसा से होने वाली क्षति ।
6. बिजली के झटके से होने वाली क्षति ।
7. विभिन्न प्राकृतिक विपदाओं से होने वाली क्षति ।
8. जलने से होने वाली क्षति की दशा में ।
9. किसी निगम कर्मचारी की हत्या हो जाने अथवा हत्या के प्रयास में होने वाली शारीरिक क्षति की दशा में ।

7. स्पष्टतः योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार किया जायेगा जिनमें मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियां दुर्घटनाओं से उत्पन्न होती हैं । आशय यह है कि योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक कारणों से होने वाली मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों पर इस पॉलिसी के अन्तर्गत किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा, उदाहरणार्थ निम्न स्थितियों में क्षतियों के प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने के कारण लाभ देय नहीं होंगे :–

1. हृदयगति रुक जाने से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षतियां ।
2. विभिन्न बीमारियों जैसेः कैंसर, टी.बी. इत्यादि से होने वाली मृत्यु अथवा अन्य क्षतियां ।
3. विभिन्न दुर्घटनाओं में क्षतियों के अन्तर्गत हाथ की क्षति, पैर की क्षति अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों के सम्बन्ध में दिये गये विवरण के अनुरूप क्षति होने पर ही लाभ देय होगा । आशय यह है कि उपर्युक्त विवरण के अतिरिक्त अन्य प्रकार की क्षति यथा–हाथ अथवा पैर का फैक्चर इत्यादि होने की दशा में योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होंगे।

8. पॉलिसी के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थितियों में होने वाली क्षतियों पर पॉलिसी के लाभ देय नहीं होंगेः–

1. आत्म क्षति, आत्म हत्या या आत्म हत्या का प्रयास, पागलपन अथवा किसी निगम कर्मचारी द्वारा नशीले द्रव्य के प्रयोग से होने वाली क्षति ।
2. चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति ।
3. नाभिकीय विकिरण अथवा परमाणविक अस्त्रों से होने वाली क्षति ।
4. युद्ध, विदेशी आक्रमण, विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से होने वाली क्षति ।
5. गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति ।
6. बीमित व्यक्ति द्वारा आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते समय हुई क्षति ।

बीमा पॉलिसी की एक वर्ष की अवधि के दौरान पॉलिसी के अन्तर्गत बीमित के सम्बन्ध में एक से अधिक दावों के मामलों में भुगतान बीमित को इस पॉलिसी के अन्तर्गत देय अधिकतम भुगतान दो लाख रुपए से अधिक नहीं होगा, उदाहरणार्थ उपर्युक्त बीमा पॉलिसी की किसी अवधि के दौरान यदि किसी निगम कर्मचारी को पहले उपबन्ध 10(3) के अन्तर्गत एक आंख अथवा अन्य अंग की क्षति पर एक लाख रुपए का भुगतान किया जाता है तो पॉलिसी की उसी अवधि के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की दशा में मृत्यु हेतु प्रस्तावित राशि में से उपर्युक्त कर्मचारी को पूर्व में स्वीकृत राशि कम करके भुगतान किया जायेगा ।

9. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गतः

1. हाथ की क्षति से आशयः हाथ की कलाई अथवा ऊपर से पार्थक्य
2. पैर की क्षति से आशयः पैर की एडी अथवा ऊपर से पार्थक्य

10. योजना के अन्तर्गत विभिन्न क्षतियों पर देय बीमाधन के लाभ निम्न प्रकार होंगे :–

| क्रम सख्या | दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार | दुर्घटना पर देय लाभ / बीमाधन (रुपए) |
|---|---|---|
| 1 | दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर | 2 लाख |
| 2 | दुर्घटना में दोनो हाथों अथवा दोनों पैरों या दोनों आंखों अथवा एक हाथ एवं एक आंख अथवा एक पैर एवं एक आंख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षति पर | 2 लाख |
| 3 | दुर्घटना में एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आंख की क्षति पर | 1 लाख |
| 4 | उपर्युक्त क्षतियों के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत व्यक्ति के सेवायोजन अथवा किसी भी प्रकार की निगम सेवा के लिये स्थाई एवं सम्पूर्ण रूप से अयोग्य होने की दशा में | 2 लाख |
| 5 | आंशिक क्षतियों की दशा में :– | |
| | अ. श्रवण शक्ति की क्षतियों की दशा में:– | |
| | 1. श्रवण शक्ति की पूर्ण क्षति (दोनों कानों की क्षति) | 1 लाख |
| | 2. श्रवण शक्ति की क्षति (एक कान की क्षति) | 30 हजार |
| | ब. हाथ के अंगूठे की क्षति | |
| | 1. हाथ के एक अंगूठे एवं चारों अंगुलियों की क्षति | 80 हजार |
| | 2. हाथ के एक अंगूठे के अतिरिक्त चारों अंगुलियों की क्षति (समस्त अंगुलियों की क्षति) | 50 हजार |
| | स. हाथ के अंगूठे की क्षति | |
| | 1. हाथ के एक अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलियों की क्षति) | 50 हजार |
| | 2. हाथ के एक अंगूठे की क्षति (एक अंगुली की क्षति) | 20 हजार |
| | द. हाथ के अंगूठे के अतिरिक्त अन्य अंगुलियों की क्षति | |
| | 1. किसी भी हाथ की समस्त अंगुलियों की क्षति पर | 12 हजार |
| | 2. किसी भी हाथ की दो अंगुलियों की क्षति पर | 10 हजार |
| | 3. किसी भी हाथ की एक अंगुली की क्षति पर | 06 हजार |
| | य. पांव के अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति | |
| | 1. दोनों पांव की समस्त पावांगुलियों की क्षति पर (समस्त अंगुलियों की क्षति) | 40 हजार |
| | 2. पांव के एक अंगूठे की क्षति पर (दोनों अंगुलियों की क्षति) | 10 हजार |
| | 3. पांव के एक अंगूठे की क्षति पर (एक अंगुली की क्षति) | 04 हजार |
| | 4. अंगूठे के अतिरिक्त एक अथवा अधिक अंगुलियों की क्षति (दोनों अंगुलियों की क्षति) | 02 हजार प्रति अंगुली |
| | 5. अंगूठे के अतिरिक्त पांव की एक अथवा अधिक अंगुलियों की क्षति (एक अंगुली की क्षति) | 01 हजार प्रति अंगुली |
| | र. जलने से होने वाली शारीरिक क्षतियां | |
| | 1. 50 प्रतिशत या उससे अधिक जलने की स्थिति में | 1 लाख |
| | 2. 40% या उससे अधिक परन्तु 50% से कम जलने की स्थिति में | 75 हजार |
| | 3. 30% या उससे अधिक परन्तु 40% से कम जलने की स्थिति में | 50 हजार |
| | नोटः जलने से होने वाली उपर्युक्त क्षतियों पर देय बीमाधन सम्बन्धित राज्य कर्मचारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप वांछित प्रपत्र में प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही देय होगा । | |

| | | |
|---|---|---|
| 6 | पॉलिसी के अन्तर्गत किसी भी निगम कर्मचारी की मृत्यु की दशा में सम्बन्धित कर्मचारी का मृतक शरीर दाह संस्कार हेतु एक शहर/कस्बा/गांव से दूसरे शहर/कस्बा/गांव ले जाने हेतु देय राशि । | 02 हजार |

11. प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी से प्रीमियम राशि की कटौती करना अनिवार्य है । यदि किसी कारणवश कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कटौती नहीं की जा सकी है तो लेखाधिकारी द्वारा प्रीमियम राशि की कटौती वेतन के भुगतान से पूर्व सुनिश्चित की जायेगी ।
12. जिन कर्मचारियों का वेतन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा माह सितम्बर, 2013 (देय माह अक्टूबर, 2013) का किसी कारणवश नहीं बनाया जा सका है तो ऐसे कर्मचारियों के वेतन से प्रीमियम की कटौती जब भी वेतन बनाया जायेगा, की जायेगी ।
13. यदि किसी कर्मचारी की नियुक्ति 30.09.2013 के पश्चात् होती है तो उसके वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती निम्नानुसार आनुपातिक दर पर की जायेगी ।

$$\text{आनुपातिक दर पर देय प्रीमियम} = \frac{281 \times \text{शेष महीनों की संख्या}}{12} + 12\%\ \text{सेवाकर} + 3\%\ \text{सेवाकर राशि पर शिक्षा उपकर}$$

**टिप्पणी: प्रीमियम राशि की कटौती पूर्ण रुपयों में की जानी है । रुपए के किसी भी अंश को अगले निकटतम पूर्ण रुपए में काटा जायेगा ।**

14. प्रीमियम राशि की कटौतियों का विवरण संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट 'ख' में तीन प्रतियों में बनाकर दो प्रतियां मूल वेतन विपत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न की जानी हैं ।
15. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके सेवाकाल समाप्ति में एक साल से कम का समय है उनके वेतन से भी प्रीमियम राशि रुपए 281/– की कटौती की जानी है। ऐसे मामलों में सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी 24 अक्टूबर, 2013 से एक साल की अवधि के लिये दुर्घटना से मृत्यु पर बीमा परिलाभ देय होंगे । ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी सेवानिवृत्ति तिथि 31 अक्टूबर, 2013 है, उनके वेतन से भी कटौती की जानी है ।
16. कार्यालयाध्यक्ष प्रस्ताव पत्र एवं मनोनयन पत्र संलग्न (परिशिष्ट "क") में दो प्रतियों में प्रत्येक कर्मचारी से भरवाकर एक प्रतिलिपि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के सेवा अभिलेख में रखेंगे तथा द्वितीय प्रति लेखाधिकारी कार्यालय को भिजवायेंगे ।
17. मनोनयन परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी/लड़का/लड़की) के पक्ष में ही किया जा सकता है। परिवार के उपर्युक्त सदस्यों के न होने की दशा में माता, पिता, भाई अथवा अविवाहित बहिन के पक्ष में मनोनयन किया जा सकता है । उपर्युक्त दोनों अवस्थाएं न होने की दशा में किसी भी व्यक्ति को मनोनीत किया जा सकता है । मनोनीत व्यक्ति के अवयस्क होने की दशा में प्रस्ताव–पत्र में निर्धारित स्थान पर मनोनीत के संरक्षक का नाम अवश्य निर्दिष्ट किया जाये। आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मनोनयन उपर्युक्तानुसार ही किया गया है । किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा योजना में प्रविष्टि के समय किया गया मनोनयन निम्नलिखित दो परिस्थितियों में ही परिवर्तित किया जा सकता है:–

(अ) योजना में प्रविष्टि के समय सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के अविवाहित होने की दशा में उसके उपरान्त पॉलिसी की किसी एक अवधि के दौरान विवाहित होने पर।

(आ) योजना में प्रविष्टि के समय सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मनोनीत किये गये व्यक्ति की पॉलिसी की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाने पर (उपर्युक्त परिस्थिति में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मनोनयन परिवर्तन हेतु भरे जाने वाले प्रपत्र का प्रारूप परिशिष्ट "छ" पर देखें) ।

सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी मनोनयन परिवर्तन प्रपत्र दो प्रतियों में भरकर अपने कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे । कार्यालयाध्यक्ष उपर्युक्त प्रपत्र अग्रेषित कर साधारण बीमा निधि कार्यालय को भिजवा देंगे । साधारण बीमा निधि कार्यालय उपर्युक्त प्रपत्र के आधार पर अभिलेख में आवश्यक संशोधन कर लेगा ।

18. दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बीमा राशि का भुगतान अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मनोनीत व्यक्ति एवं मृत्यु के अतिरिक्त अन्य क्षतियों पर बीमित निगम कर्मचारी को अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग(सामान्य बीमा निधि), राजस्थान सरकार, वित्त भवन, डी–ब्लाक, द्वितीय मंजिल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर द्वारा किया जायेगा । सामान्य दशा में मृत्यु होने पर बीमा राशि देय नहीं होंगी ।

19. योजना के अन्तर्गत उल्लिखित दुर्घटना के होने पर संबंधित निगम कर्मचारी/संबंधित निगम कर्मचारी के मनोनीत जैसी भी अवस्था हो, के द्वारा एक दावा प्रपत्र भरा जाएगा । (किसी निगम अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु के प्रकरण में भरे जाने वाले आवश्यक दावा प्रपत्र का प्रारूप परिशिष्ट 'घ' एवं मृत्यु के अतिरिक्त अन्य क्षतियों के प्रकरण में भरे जाने वाले आवश्यक दावा प्रपत्र का प्रारूप परिशिष्ट 'ड' संलग्न है) । कार्यालयाध्यक्ष उनके अधीन किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को योजना के अन्तर्गत उल्लिखित क्षति होने पर वांछित दावा प्रपत्र बीमित व्यक्ति अथवा उसके मनोनीत से अविलम्ब भरवाकर एक सप्ताह में सम्बन्धित लेखाधिकारी के माध्यम से अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग(सामान्य बीमा निधि) को प्रस्तुत करेंगे । कार्यालयाध्यक्ष यह सत्यापित करेंगे कि कर्मचारी जिसके संबंध में दावा पेश किया गया है वह 22 अक्टूबर 2013 या तत्पश्चात् निगम में सेवारत था एवं माह अक्टूबर 2013 अथवा उसके पश्चात्वर्ती माह के उसके वेतन विपत्र से प्रीमियम राशि 281/– रुपए अथवा आनुपातिक प्रीमियम राशि की कटौती की गयी थी । यह प्रमाण पत्र सी–1 रजिस्टर में किये गये इन्द्राज पर आधारित होगा । दावा घटना घटित होने की तिथि से दो माह में सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक प्रलेखों सहित बीमा एवं प्रावधायी विभाग को प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। ऐसे समस्त प्रलेख/सूचना हर दशा में 6 माह के अन्दर–अन्दर विलम्ब के कारण दर्शाते हुए प्रस्तुत कर दिये जाने चाहिए अन्यथा बीमा एवं प्रावधायी विभाग द्वारा "कोई दावा नहीं" ("No Claim") मानते हुए प्रकरण को बन्द कर दिया जावेगा । दावे की एक छाया प्रति मुख्य लेखाधिकारी (लेखा एवं राजस्व), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर के कार्यालय को अवश्यम्भावी रूप से प्रेषित की जायेगी।

20. योजना के विभिन्न बिन्दुओं पर वांछित जानकारी प्राप्त करने, शंकाओं का निवारण करने एवं पत्र व्यवहार करने हेतु कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग(सामान्य बीमा निधि), राजस्थान सरकार, वित्त भवन, डी–ब्लाक, द्वितीय मंजिल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005 से सम्पर्क किया जाए। कार्यालय के दूरभाष नम्बर निम्नलिखित हैं:–

1. 2740219, 2740292 सीधी लाईन
2. 2338720 (अतिरिक्त निदेशक के निवास के नम्बर)

कृपया इस परिपत्र की सूचना समस्त कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को देने के साथ ही सूचना पट्ट पर भी सभी की जानकारी हेतु प्रदर्शित/चस्पा करवायें ।

(एम.एस.पालावत)
**मुख्य लेखाधिकारी (बजट एवं राजस्व)**
**जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर**

DEEPAK / KHATRI / KHATRIJI HINDI

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय / जोधपुर संभाग / बीकानेर संभाग / बाड़मेर संभाग), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकानेर / बाड़मेर।
2. सचिव (प्रशासन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
3. मुख्य लेखाधिकारी (वित्त मार्गोपाय / आन्तरिक अंकेक्षण एवं लेखा), जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / जोधपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
5. कम्पनी सचिव, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
6. अधीक्षण अभियन्ता ( ), जोधपुर डिस्कॉम, .................................................................. । उनसे **अनुरोध है कि वे अपने स्तर पर अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में उक्त परिपत्र की प्रतियां भेजने की तुरन्त व्यवस्था करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों के माह सितम्बर, 2012 के वेतन से समूह बीमा योजना की राशि निश्चित रूप से काटी गयी है ताकि कर्मचारियों को उक्त योजना के परिलाभ अक्टूबर, 2012 से प्राप्त हो सकें ।**
7. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग(सामान्य बीमा निधि), राजस्थान सरकार, वित्त भवन, डी–ब्लाक, द्वितीय मंजिल, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर । उनसे अनुरोध है कि वे उक्त परिपत्र में वर्णित प्रक्रिया तथा शर्तों एवं निबन्धनों में यदि कोई संशोधन आवश्यक हो तो इस कार्यालय को शीघ्र सूचित करें ताकि तदनुसार कार्यवाही की जा सके ।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, ( ) जोधपुर डिस्कॉम, ..................................................................
9. उप निदेशक कार्मिक ( ), जोधपुर डिस्कॉम, ..................................................................
10. लेखाधिकारी, ( ) जोधपुर डिस्कॉम, ..................................................................
11. अधिशाषी अभियन्ता (विधि प्रकोष्ठ), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
12. तकनीकी सहायक / निजी सहायक–निदेशक (तकनीकी / वित्त), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
13. जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

**मुख्य लेखाधिकारी (बजट एवं राजस्व)**
**जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर**

DEEPAK / KHATRI / KHATRIJI HINDI

# परिशिष्ट–1

## विद्युत कम्पनियों की यूनिट्स के लिए एसआईपीएफ की यूनिट्स

### जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

| क्र.सं. | लेखाधिकारी सर्किल का नाम | एसआईपीएफ यूनिट |
|---|---|---|
| 1. | सीसी जोधपुर | जोधपुर शहर |
| 2. | डीसी जोधपुर | जोधपुर ग्रामीण |
| 3. | रोकड़ जोधपुर | जोधपुर शहर |
| 4. | आईए जोधपुर | जोधपुर शहर |
| 5. | बाड़मेर जोधपुर | बाड़मेर |
| 6. | जैसलमेर | जैसलमेर |
| 7. | जालौर | जालौर |
| 8. | पाली | पाली |
| 9. | सिरोही | सिरोही |
| 10. | चुरू | चुरू |
| 11. | श्रीगंगानगर | श्रीगंगानगर |
| 12. | हनुमानगढ़ | हनुमानगढ़ |
| 13. | बीकानेर | बीकानेर |
| 14. | आईएबीकानेर | बीकानेर |